- मुख्यमंत्री **का कार्यकाल तय नहीं है और वह राज्यपाल** के प्रसादपर्यन्त अपने **पद** पर रह**ते है।**
- **जब तक** मुख्यमंत्री **को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक** मुख्यमंत्री **को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।**
- **विधानसभा** में **बहुमत** खो दे**ने की स्थिति में,** मुख्यमंत्री **को इस्तीफा** दे **देना चाहिए** अन्यथा **राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं।**
- मुख्यमंत्री **का वेतन और भत्ते समय-समय पर राज्य विधा**नमंडल **द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।** मुख्यमंत्री **को** दिए गए वेतन **और भत्ते** राज्य विधानमंडल के **सदस्य** को देय **वेतन और भत्ते के समान होता है।**
- द्वितीय एआरसी रिपोर्ट के अनुसार गोपनीयता की शपथ को पारदर्शिता की शपथ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय (1994)-

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद पर बने रहते हैं। जब तक मुख्यमंत्री को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।

राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति को मजबूत करने वाले कारक

- मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, फेरबदल कर सकता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का आवंटन करता है।
- मुख्यमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे से मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है।
- मुख्यमंत्री राज्य में अधिकांश नियुक्ति और चयन समितियों के अध्यक्ष होते हैं।
- मुख्यमंत्री कैबिनेट, मंत्रिपरिषद और महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के अध्यक्ष होते हैं।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य प्रतिनिधि और संचार अधिकारी होता है।
- मुख्यमंत्री उस सदन का नेता बन जाता है जिस सदन का वह सदस्य होता हैं।
- मुख्यमंत्री आमतौर पर राज्य स्तर पर दल का चमत्कारिक व्यक्तित्व है।
- मुख्यमंत्री अक्सर राज्य स्तर पर अपने दल के समकक्ष होता है।

आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को राज्य के निचले सदन (विधान सभा) से चुना जाता है, लेकिन, कई अवसरों पर, राज्य के उच्च सदन (विधान परिषद) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ किसी भी राज्य के मंत्री के समान ही होती है।

मुख्यमंत्री की भूमिका

राज्यपाल के सापेक्ष मुख्यमंत्री की भूमिका

- मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार (अनुच्छेद167) का प्रमुख माध्यम है।
- मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों (अनुच्छेद 167) को राज्यपाल को संप्रेषित करें। किसी विषयक को जिस पर कोई मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयुक्त, और अन्य सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता हैं।